VOL- VII ISSUE- XII DECEMBER 2020 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 6.293 ISSN 2349-638x

छिन्दवाड़ा जिले में शासन द्वारा मवासी जनजाति विकास के लिए संचालित विभिन्न विकास की योजनाएँ–एक अध्ययन

जैन कुमार पंचेश्वर
शोधार्थी, समाजशास्त्र

जनजातियाँ भारतीय समाज और संस्कृति की जीवन्तता के प्रतीक हैं। यदि इन्हें भारत माता का सच्चा प्रहरी कहा जाए तो कोई अतिष्योक्ति नहीं है। भारतीय समाज और संस्कृति की रक्षा आज इन्हीं के द्वारा की जा रही है। षिक्षा का प्रतिषत अत्यंत कम होने से इनका विकास रूका है। विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। षासन द्वारा इनके विकास के लिए स्वीकृत की गई धनराषि का बंदरबांट हो रहा है। अषिक्षा के कारण ये लोग अपनी दषा पर कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, विकास की बात तो दूर की है।

संविधान में मौलिक अधिकारों तथा समानता देने वाली अनेक धाराएँ हैं इनमें खण्ड ४ की धारा ४६ में राज्य सरकारों को समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विशेष ध्यान अनुसूचित जनजातियों पद देने को कहा गया है। जिससे उन्हें सामाजिक अन्याय एवं विविध प्रकार के शोषणों से बचाया जा सके। जनजातीय बहुल राज्यों में अलग से आदिम जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, साथ ही आदिवासी कल्याण योजनाओं के चलाने के विशेष केन्द्रीय अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों की राजनीतिक भागीदारी के उद्देश्य से उन क्षेत्रों की लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। सरकारी सेवाओं में पदों की भर्ती के लिए भी इनका कोटा निश्चित है। इस तरह जनजाति समुदाय के लोगों के विकास के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ की गयी हैं। इन व्यवस्थाओं का परिपालन राज्य सरकारों का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए अन्य राज्य सरकारों की भांति मध्यप्रदेश में भी बहुमुखी प्रयास किये गये हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में देश के बहुमुखी विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रारम्भ की गयी। उन्हीं दिनों जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएँ बनायी गयीं। फलतः मध्यप्रदेश में १९५६ में ४३ विशिष्ट परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। सैद्धांतिक स्तर पर यह माना गया कि आदिवासी विकास की योजनाएँ अन्य क्षेत्रों की विकास की योजनाओं से अधिक भिन्न नहीं है। इस प्रकार यह अनुभव किया गया कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपेक्षा अधिक धनराशि की आवश्यकता है। विशिष्ट बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर जनजाति प्रधान क्षेत्रों के लिए अलग से जनजातीय विकासखण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पहली बार जनजाति विकासखण्ड स्थापित किये गए अर्थात इनके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। बजट में इन विकासखण्डों के लिए अलग से राशि आवंटित की जाने लगी परन्तु यह आवंटित राशि भी इन क्षेत्रों में विकास के कदम आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि शायद यह आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। साथ ही इन विकासखण्डों का विस्तार भी सीमित था। केवल

उन क्षेत्रों को विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सका जहाँ दो तिहाई लोग आदिवासी समुदाय के थे। अनुसूचित करने का ढंग भी ठीक नहीं था।

परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश जैसे राज्य में अधिक जनजातीय संकेन्द्रण के क्षेत्र भी इससे अप्रभावित रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल तक आदिवासी क्षेत्रों की दशाओं में विशेष सुधार नहीं हो पाया। अलग—अलग विभाग अपने ढंग से काम करते हैं, उनमें सामंजस्य नहीं हो पाता था। जनजातियों के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण एवं सूचक अल्प साक्षरता है। इसका आभास इसी से मिल जाता है कि राज्य की कुछ आदिवासी जनसंख्या में से सन् १९९१ तक केवल १६.८८ प्रतिशत ही साक्षर कहे जा सके। शेष ८३.१२ प्रतिशत अब भी निरक्षर है। यह साक्षरता का औसत देश के आदिवासी साक्षरता के औसत (१६.३५ प्रतिशत) से काफी कम है। राज्य में कुल ३६.४६ प्रतिशत लोग साक्षर हैं। सन् १९९१ की जनगणना में साक्षरता की गणना करते समय जनसंख्या में से ० से ६ वर्षों तक की जनसंख्या को घटाकर शेष में से साक्षरों का प्रतिशत निकाला गया है। इसी तरह ०—६ वर्ष तक की जनजातीय जनसंख्या को कुल जनजातीय जनसंख्या में घटाने पर साक्षरता का प्रतिशत २१.५४ आता है तो राज्य की कुल जनसंख्या की साक्षरता (४४.२ प्रतिशत) के आधे से कम हैं। जनजातीय पुरूषों में ३२.१६ प्रतिशत और महिलाओं में १०.७३ प्रतिशत साक्षर हैं। यह अनुपात राज्य के कुल पुरूष (५८.४२ प्रतिशत) और स्त्री (२८.८५ प्रतिशत) साक्षरता से बहुत कम है। यद्यपि विकास और साक्षरता का घनिष्ट सामाजिक आर्थिक संरचना के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के अभाव में न केवल वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहकर एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता बल्कि विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं हो पाता। साक्षरता और शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण मानते हुए ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इसको प्राथमिकता दी गयी है।

शैक्षणिक विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास—

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में वर्तमान मध्यप्रदेश के चारों घटक राज्यों में अनेक शैक्षणिक विकास की योजनाएँ संचालित की गई, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इसका उल्लेख विकास योजनाओं के अध्याय में किया गया है। कुल मिलाकर प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल मे रू. ३४८.९४ लाख शिक्षा पर व्यय किये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल आयोजना व्यय का लगभग एक तिहाई (३०८.९६ लाख) शिक्षा पर व्यय किया गया। इस काल में शिक्षा विभाग से विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपे गए। साथ ही तीन नई योजनाएँ—छात्रावास, आश्रम एवं छात्रवृद्धि की योजनाएँ भी कार्यान्वित की गई। लगभग ४०५ लाख विद्यार्थियों के अंतिम वर्ष में छात्रवृत्ति दी गई। योजना के अन्त में कुल ४९७१ प्राथमिक, ५२७ माध्यमिक एवं १०४ उच्चतर माध्यमिक शालाएँ खुल चुकी थीं। कुल ५५१ आदिवासी छात्रावास संचालित थे। आद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किये गये। चतुर्थ योजना में कुल आयोजना व्यय रू. १७०६.२४ में से रू. ७८६.१५ लाख (४६.०७ प्रतिशत) शिक्षा पर व्यय किये गये। यह राशि आर्थिक विकास के लिए आबंटित राशि से थोड़ी ही कम थी। आधारभूत सुविधाएँ बढ़ायी गयीं। इस योजना के अंत में कुल ८४०६ प्राथमिक, १४१ माध्यमिक एवं २३६ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित हो चुके थे। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तक, स्लेट और पेन्सिल भी प्रदान की गयी। इस योजना में १३५ आश्रम खोले गये। छात्रावासों की संख्या १४११ हो गयी।

पांचवीं योजना में उपआदिवासी योजना आरंभ की गयी। यह उपयोजना अब भी लागू है। इस अवधि में साक्षरता और शिक्षा के विस्तार वाली अनेक योजनाएं लागू की गयीं। साथ ही शिक्षा के गुणत्मक सुधार का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। उन कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया जिनके कारण या तो आदिवासी बच्चे—बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाते अथवा उन्हे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इनके हल के

कार्यक्रम बनाये गये। छात्रवृत्तियों की संख्या एवं राशि बढ़ायी गयी। छात्रावासों की संख्या बढ़ी और उनमें सुविधाएं बढ़ायी गयीं, जिससे आदिवासी विद्यार्थी बाह्य जगत से संपक्र स्थापित कर सके। औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रवेश अथवा प्रतिस्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ायी गयी।

इस समय के बहुमुखी प्रयासों के परिणामस्वरूप सन् १९९८—९९ तक १३०१ कनिष्ठ प्राथमिक, १७४१५ प्राथमिक, ४०६५ माध्यमिक, ७६१ हाई स्कूल और ६८१ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन कार्य कर रहे थे। इनके साथ ही १४ आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ६ कन्या शिक्षा परिसर, एक गुरूकुल विद्यालय तथा २५ क्रीड़ा परिसर भी औपचारक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षण देने के लिए ११३३ आश्रम प्रकार के विद्यालय खोले गये हैं। इन विद्यालयों का लक्ष्य है कि अध्यापन के साथ खेती, बुनाई, कताई आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाये जिससे ये आश्रम अपने भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या परिसर तथा गुरूकुल विद्यालय भी आवासीय शैक्षणिक संस्थाएँ हैं। गैर आदिवासी संस्थाओं के साथ यथासंभव छात्रावास की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। सन् १९९८—९९ तक १९३४ प्री—मैट्रिक एवं १३१ पोस्ट—मैट्रिक छात्रावास चलाये जा चुके थे, जिनमें ६१०६० रहवासियों के लिए जगह थी।

कई प्रकार की छात्रवृत्तियों प्रारंभ की गयी। ये हैं—प्री—मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, प्रावीण्य छात्रवृत्ति एवं ऋण छात्रवृत्ति। प्री—मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातियों के कक्षा ६ से १० के छात्र—छात्राओं को दी जाती है। सन् १९९७—९८ में ९.४ लाख पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। इसके साथ ही ५ प्रतिशत से कम साक्षरता वाली जनजातियाँ है—बैगा, भतरा, भील—भिलाला, बेयर या बियार, बिरहुल, धनुवार, गड़ावा—गदवा, कमर, कोरकू, खेरवार—कोंडर, खारिया, कोल, कोरकू—वापनी—बोडिया, कोरबा, मांझी, मंझवार, **मवासी,** पारधी, सहेरिया—सहरिया, सेाटा—सओंटा और सौंर। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति उन आदिवासी छात्रों को मिलती है जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी रखते हैं। ये छात्रवृत्तियां स्नातक सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा मेडिकल तथा इंजीनियरिंग, विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाती हैं। पुनः १९९७—९८ में लगभग ७३.८ हजार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां आदिवासी छात्रों को वितरित की गयी। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभावान छात्रों को प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति पांचवीं पास करने वाले को आठवीं तक और माध्यमिक परीक्षा पास करने पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्ययन के लिए हैं। इनके अलावा आदिवासी छात्रों के लिए ऋण छात्रवृत्ति की भी योजना है । यह ऋण स्टेट बैंक द्वारा दिया जाता है। पूर्व माध्यमिक छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त छात्र—छात्राओं को प्रति माह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। इन प्रयत्नों के बावजूद भी आदिवासी क्षेत्रों में बहुसंख्यक बालक एवं बालिकाएँ स्कूल नहीं जाते, जो प्रवेश लेते भी हैं, उनमें से लगभग आधे प्राथमिक स्तर पर ही और एक पंचमांश माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं।

मवासी जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनायें—

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से अध्ययनरत जनजातियों के जीवन में चहुँ ओर परिवर्तन रूपष्ट रूप से परिलक्षित होता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक क्षेत्र हो परिवर्तन एवं सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। जनजातियों के लिये विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के परिणाम स्वरूप उनके जीवन मे बदलाव आया है। यह अवश्य है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात जिस परिवर्तन की उम्मीद की गई थी वह पूरी नही हुई। जैसा कि शाश्वत नियम है विकास का सर्वाधिक लाभ विकसित व्यक्ति को ही प्राप्त होता है उसी के अनुसार जनजातियों के विकासार्थ क्रियान्वित योजनाओं का जो लाभ जिले के विकसित जनजाति गोंड़ को

प्राप्त हुई वह मवासी जनजातियों को नहीं प्राप्त हो सकी है।

कृषि विकास—

डीजल/विद्युत पम्प सेट वितरण—

अध्ययनरत मवासी कृषक जिनके पास सिंचाई स्त्रोत है लेकिन पम्प सेट नहीं है एवं पम्प के अभाव में सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, उन्हें सुविधानुसार डीजल/विद्युत पम्प सेट प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

पशुधन विकास—

बैल जोड़ी वितरण— मवासी कृषक जो बैलों के अभाव में कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें बैल जोड़ी प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं ताकि वह कृषि कार्य कर सके तथा बैलों से प्राप्त गोबर खाद का उपयोग अपने खेतों में करके उत्पादन बढ़ा सके।

उद्यानिकी विकास— योजना अंतर्गत ऐसे मवासी कृषकों को उद्यानिकी विकास कार्यक्रम सब्जी एवं मसाला उत्पादन पम्प वितरण पौध संरक्षण बायोफर्टीलाइजर जैविकखाद बीज उत्पादन, पौध संरक्षण दवा एवं इत्यादि उपलब्ध कराया जाकर एवं लघु सिंचाई पम्प (टुल्लू पम्प) इत्यादि प्रदाय कराया जावेगा ताकि वो सब्जी इत्यादि की खेती करके अपनी आय बढा सकें तथा सब्जी के उपयोग द्वारा स्वयं को भी स्वस्थ रख सके।

लघु सिंचाई—

जल संग्रहण संरचना निर्माण— मवासी कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु जल संग्रहण संरचना निर्माण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विभाग से कराया जाना प्रस्तावित है ताकि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाकर मवासी कृषकों को दोनों रबी की फसल उगाने हेतु प्रेरित किया जा सके।

सर्विस एक्टीविटी —

कटिंग/टेलरिंग प्रशिक्षण—

शिक्षित मवासी युवक—युवतियों को कटिंग, टेलरिंग का तीन माह का प्रशिक्षण दिलाया जाकर उन्हें सिलाई मशीन प्रदाय की जाएगी ताकि वो ग्रामीण अंचलों में कपड़ों की सिलाई द्वारा जीविका प्राप्त कर स्वावलम्बी हो सकें प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय भी प्रदान किया जायेगा ताकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में आर्थिक कठिनाई न हो एवं प्रशिक्षण अवधि में लगने वाला कच्चा माल इत्यादि भी प्रदाय किया जावेगा।

किराना दुकान की स्थापना— मवासी परिवार प्राय: किराना/मनिहारी सामग्री का विक्रय घूम—घूम कर करते हैं फलस्वरुप उन्हें इस व्यवसाय में स्थापित करने हेतु यह योजना प्रस्तावित की गई है।

पेयजल— मवासी बाहुल्य ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना पानी की टंकी सहित योजना प्रस्तावित की गई ताकि शुद्ध पेयजल सुलभ हो सके।

पंचायती राज द्वारा मवासी जनजातियों के लिए योजनायें—

पंचायती राज की स्थापना के फलस्वरूप छिन्दवाड़ा जिले के जनजातियों के विकास के लिए कई योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

शैक्षणिक योजनायें—

देश की कुल जनजातीय संख्या का २३ प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश में निवास करता है। मध्यप्रदेश एक प्रमुख जनजातीय प्रदेश है तथा मध्यप्रदेश में छिन्दवाड़ा जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है। मध्यप्रदेश की जनजातियों का ४६ विभिन्न समूहों में विभक्त किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनजातियों के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में तीव्रता लाने के लिए १९९० में प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का पुन: गठन किया गया है और ४४ बड़ी ०३ मध्यम ४७ लघु परियोजनाओं के रूप में कुल ९६ परियोजनाओं क्रियान्वित की जा रही है। छिन्दवाड़ा जिले के जनजातियों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाओं एवं संस्था में राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।

रफ्तार योजना—

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगार सदस्यों को यातायात क्षेत्र में स्वयं का ट्रक मिनी बस, जीप, मिनी ट्रक क्रय करने हेतु ऋण प्रदाय किया जाता है। जो जिले के मूल निवासी हो जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये २२,०००.०० से कम हो जिनके पास ट्रक हेतु हैवी वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस एवं मिनी बस मिनी ट्रक जीप हेतु हल्के वैध ड्राईविंग लाईसेन्स हो इन योजना में चयन करते समय उस पंजीकृत समिति या समूह को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसमें अस्वच्छ धंधों में लगे लोग शिक्षित बेरोजगार या पूर्व से अनुभव प्राप्त सदस्य हो। ट्रक १२ सदस्यों की पंजीकृत सहकारी समिति जिसमें २ ड्राईवर २ क्लीनर, एवं ८ हम्माल होगे। मिनी बस/मिनी ट्रक/जीप हेतु ६ सदस्यों का समूह होगा जिसमें २ ड्राईवर २ क्लीनर २ हेल्पर रहेगें को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

छिन्दवाड़ा जिले में रफ्तार योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रमिकों को यातायात के क्षेत्र में ट्रक, मिनीबस, जीप, मिनी ट्रक, क्रय करने के लिए वर्ष २००७—०८ तक १८८ लोगों को ऋण प्रदान किया गया। जिससे इस वर्ग के शिक्षित बेरोजगार जनजातीय श्रमिक अपना जीवन यापन करने हेतु अपने आप में सक्षम बन सके। रफ्तार योजना में वितरित ऋण का मदवार विवरण इस प्रकार है—

सारणी क्रमांक ५.१

छिन्दवाड़ा जिले में रफ्तार योजना की मदवार स्थिति

क्र.	योजना	लाभार्थी संख्या
०१	*ट्रक*	१०
०२	मिनी बस	०६
०३	जीप	३८
०४	ऑटो	११२
०५	मालवाहक	०९
०६	पिकप छोटा	०८
	योग	१८३

स्रोत—जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, छिन्वाड़ा (म.प्र.)

वनजा योजना—

इस योजना के अंतर्गत अजा/अजजा के वनोपज कार्य में लगे ऐसे बेरोजगार सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो म०प्र० (जिले) के मूल निवासी है जिनकी वार्षिक आय ११०००/— या गरीबी रेखा से कम है जो वनोपज कार्य करते है इस योजनान्तर्गत देय ऋण पर १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूल किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के ऐसे जनजातीय श्रमिक जो वनोपज से सम्बन्धित कार्य में संलग्न सदस्यों को जो छिन्दवाड़ा जिले के मूल निवासी है वर्ष २०११—१२ में २९५ हितग्राहियों को १०.३२५ लाख रूपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है।

सहारा योजना—

जिले में सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे जनजाति के सदस्यों को जो कुष्ठ रोगी, विकलांग, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्यता महिलाओं को अन्त्यावासी एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की व्यक्तिगत, सामूहिक, आवासीय योजनाओं में लाभ किये जाने का प्रावधान है। जिसमें ऋण की लागत का २५ प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाता है। क्योंकि ये समाज में सबसे कमजोर वर्ग के सदस्य होते है और इनकी ऋण चुकाने की क्षमता बहुत कम होती है। छिन्दवाड़ा जिले में सहारा योजना के अंतर्गत विगत ५ वर्षों से हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है। छिन्दवाड़ा जिले में वर्ष २००६—०७ में सहारा योजना के हितग्राहियों की संख्या ६५२ की वही वर्ष २०१०—११ में बढ़कर १८७५ हो गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय श्रमिकों की सहारा योजना की प्रगति के परिणाम अच्छे है।

अंत्योदय स्व—रोजगार योजना—

इस योजनान्तर्गत अजा/अजजा के ऐसे बेरोजगार सदस्यों को जो जिले के निवासी हो उनके परिवार की वार्षिक आय रूपये ११८५०/— से कम हो। को अपने स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से व्यवसाय को देखते हुये अधिकतम रूपये ३५०००/— तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं इस ऋण पर जिला

अन्त्यावसायी समिति द्वारा ५० प्रतिशत या अधिकतम ६०००/— तक अनुदान दिया जाता है।

तेंदूपत्ता सहकारीकरण योजना—

तेंदूपत्ता म.प्र. में जनजातीय समाज के लिए तेंदूपत्ता जीविकों का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सन् १९८८ में म.प्र. सरकार ने तेंदूपत्ता की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर पूर्णत: सरकारी योजना प्रारम्भ की है। जिससे जनजातीय श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल सके तथा और शोषण से मुक्ति हो सके। म.प्र. सरकार की इस योजना को छिन्दवाड़ा जिले के जनजातीय श्रमिक समाज में भी लागू किया गया है। योजना के तहत विकास के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

संदर्भ—

1. अटल योगेश, ''आदिवासी भारत'', राजकमल पब्लिकेशन, दिल्ली २०००
2. बी.डी. शर्मा, ''आदिवासी विकास—एक सैद्धांतिक विवेचन
3. जोषी, रामषरण, आदिवासी समाज और षिक्षा, ग्रंथ षिल्पी, नई दिल्ली १९९६
4. जोगी, अजीत आदिवासी अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन, म.प्र. षासन सामान्य प्रषासन विभाग, भोपाल १९८८
5. जैन, प्रो. श्रीचंद्र, ''आदिवासियों के बीच'', किताबघर मेन रोड, गाँधीनगर, दिल्ली १९९०
6. जैन, श्रीचंद आदिवासी के बीच, कमल प्रेस दिल्ली १९८०
7. कुमार प्रमिला, ''म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन'' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल २००३
8. मिश्रा, डा. राजीव, ''बैगा जनजाति का उत्थान जनजाति विकास कार्यक्रम का प्रभाव'', रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर १९९८
9. नायडू, पी. आर., ''भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ'', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली १९९६